संख्या-34/2022/174/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-VII

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2022**

विषयः- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/61/पी0एम0कुसुम/कार्य0यो0/2022-23, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत है:-

1-प्रस्तावना:-

शासनादेश संख्या-1018/12-3-2020-100(10)/2014 टी0सी0-1 दिनांक 23.07.2020 द्वारा प्रदेश के कृषकों को सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्प की स्थापना हेतु राज्य सेक्टर के अनुदान की पीएम0-कुसुम योजना को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्र में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई के साधनों को परिवर्तित करने तथा अतिदोहित/क्रिटिकल क्षेत्रों को छोड़कर नये क्षेत्रों में सिंचाई हेतु 1एच0पी0 (डी0सी0/ए0सी0) से 10 एच0पी0(डी0सी0/ए0सी0) तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना हेतु भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी द्वारा "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम0-कुसुम) की निर्गत गाइड लाइन के अनुसार प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों की स्थापना से जहाँ एक ओर विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, वहीं सोलर पम्प के संचालन के लिए ईंधन आदि का कोई आवर्ती व्यय नहीं होगा।

2-योजना का उद्देश्यः-

स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत् हैः-

(i) जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता को कम करना।
(ii) सोलर पम्प की स्थापना से सिंचाई लागत को कम करना।
(iii) विद्युत रहित क्षेत्र में उपलब्ध डीजल पम्प अथवा सिंचाई के अन्य साधनों के स्थान पर सोलर पम्प से सिंचाई को बढ़ावा देना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3-अनुदान का विवरणः-

भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के पत्र संख्या-32/645 /2017-एस.पी.वी. डिविजन, दिनांक 22.07.2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न क्षमता के 10 एच0पी0 तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना पर 30 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य किया गया है। शेष 40 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 2 एच0पी0, 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 पर 30 प्रतिशत अनुदान राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

4-कार्यक्षेत्रः- प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

5-भौतिक लक्ष्य एवं अनुदान की धनराशि का विवरणः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य जिनकी पूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जायेगी, के भौतिक लक्ष्य एवं अनुदान का विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	केन्द्रंश	राज्यांश	योग
1	1800 वाट 2 एच0पी0	डी0सी0 सरफेस पम्प	800	346.86	346.86	693.72
		ए0सी0 सरफेस पम्प	800	346.86	346.86	693.72
		डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	1500	662.09	662.09	1324.18
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	1500	665.67	665.67	1331.34
2	3000 वाट 3 एच0पी0	डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	3500	2042.43	2042.43	4084.86
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	3100	1799.18	1799.18	3598.36
3	4800 वाट 5 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	3000	2458.23	2458.23	4916.46
4	6750 वाट 7.5एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	550	614.01	614.01	1228.02
5	9000 वाट 10 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	250	348.23	348.23	696.46
6	विविध व्यय		-	-	50.00	50.00
योग			**15000**	**9283.56**	**9333.56**	**18617.12**

5.1 विभिन्न फर्मो के मध्य सोलर पम्पों की स्थापना हेतु जनपदों का निर्धारण, भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी. डिविजन, दिनांक 22.07.2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

5.2 क्षमतावार, संस्थावार एवं जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण मुख्यालय स्तर से कृषि निदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोंपरान्त योजनाधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार के लक्ष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर कृषि निदेशक के अनुमोदन के उपरान्त योजनाधिकारी द्वारा संशोधन किया जायेगा, तद्नुसार विभागीय पोर्टल पर भी संशोधन किया जायेगा, जिससे भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलम्ब न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6-अनुदान एवं कृषक अंशः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के सोलर पम्पों के लक्ष्य, जिनकी स्थापना वर्ष 2022-23 में करायी जायेगी की क्षमतावार अनुदान एवं कृषक अंश का विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	सोलर पम्प का प्रकार	सोलर पम्प की क्षमता	दर प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित	अनुदान एवं कृषक अंश प्रति पम्प			
				केन्द्रांश 30%	राज्यांश 30%	योग अनुदान 60%	कृषक अंश 40%
1	1800 वाट 2एच0पी0	डी0सी0 सरफेस पम्प	144526	43358	43358	86716	57810
		ए0सी0 सरफेस पम्प	144526	43358	43358	86716	57810
		डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	147131	44139	44139	88278	58853
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	147927	44378	44378	88756	59171
2	3000 वाट 3एच0पी0	डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	194516	58355	58355	116710	77806
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	193460	58038	58038	116076	77384
3	4800वाट 5एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	273137	81941	81941	163882	109255
4	6750 वाट 7.5एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	372126	111638	111638	223276	148850
5	9000 वाट 10एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	464304	139291	139291	278582	185722

नोट- जी0एस0टी0 की दरें घटने/बढ़ने पर राज्यांश, केन्द्रांश एवं कृषक अंश प्रभावित होगा, जिसका शासन से अनुदान प्राप्त कर दरों को संशोधित किया जायेगा।

7-वर्ष 2022-23 के वित्तीय लक्ष्यः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2 एच0पी0, 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 के 15000 सोलर पम्पों की स्थापना वर्ष 2022-23 में करायी जायेगी, जिसके लिए कुल 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत केन्द्रांश+30 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए कुल राज्यांश रू0 **9333.56** लाख की आवश्यकता होगी।

8-लाभार्थी पात्रता एवं चयनः-

पात्रता एवं चयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः-

(i) कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत कृषकों को सोलर पम्प हेतु बुकिंग करनी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 (क्रियान्वयन वर्ष-2022-23) के विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पो की स्थापना हेतु लाभार्थियों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा।

(iii) 22 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 2 एच0पी0 सरफेस सोलर पम्प तथा 50 फिट तक की गहराई पर उपयुक्त जल स्तर हेतु 2 एच0पी0 सबमर्सिबल उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार 150 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 3 एच0पी0 एवं 200 फिट गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 5 एच0पी0 तथा 300 फिट तक गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 के सोलर पम्प उपयुक्त होगें। इसके आधार पर कृषकों को सोलर पम्प हेतु चयन किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा बुकिंग के समय पोर्टल पर देना होगा।

9- <u>कृषकों की चयन प्रक्रियाः-</u>

(i) सोलर फोटोवोलटैईक सिंचाई पम्प अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए किसान को विभागीय पोर्टल पर आँनलाइन पंजीकृत होना चाहिए। कृषक को विभागीय पोर्टल पर अपने पंजीकरण के सम्मुख क्षमतावार (2 एच0पी0 डी0सी0/ए0सी0, 3 एच0पी0 डी0सी0/ए0सी0, 5 एच0पी0 ए0सी0, 7.5 एच0ए0सी0 एवं 10 एच0पी0 ए0सी0) सोलर पम्प का विकल्प चुनना होगा।

(ii) सोलर पम्प हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर टोकन जारी करने की अलग से व्यवस्था की गयी है।

(iii) कृषकों का चयन **"पहले आओ-पहले पाओ"**के आधार पर किया जायेगा। सोलर पम्प हेतु बुकिंग जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य के 200 प्रतिशत तक की जायेगी, परन्तु जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य की सीमा तक ही टोकन कन्फर्म कर कृषक अंश जमा करने हेतु निर्गत किये जायेगे।

(iv) टोकन पर निम्न विवरण अंकित होगाः-

I.कृषक का पंजीकरण संख्या, कृषक का नाम, पिता का नाम, चयनित पम्प की क्षमता, तथा टोकन के रूप में जमा की जाने वाली कृषक अंश की धनराशि।

II.कृषक अंश जमा करने का विवरणः-

(अ) बैंक का नाम- इण्डियन बैंक

(ब) शाखा का नाम- कृषि निदेशालय, लखनऊ

(स) बैंक खाता संख्या-7137069445

(द) आई0एफ0एस0सी0 कोड- **IDIB000I530**

(य) खाता धारक का नाम- नोडल अधिकारी(पी0एम0-कुसुम) एवं
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(प्रसार)

(v) चयनित कृषक अपने जनपद में इण्डियन बैंक किसी भी शाखा में कृषक अंश की धनराशि टोकन निर्गत होने के दिनांक से 07 दिन के अन्दर जमा कर सकता है अन्यथा उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची में अगले कृषक को अवसर मिलेगा।

(vi) बैंक में धनराशि जमा होते ही धनराशि जमा की पुष्टि स्वतः पोर्टल के माध्यम से विभाग तथा सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को प्राप्त हो जायेगी।

(vii) कृषक अंश की धनराशि जमा होने के उपरान्त 10 दिन के अन्दर सम्बन्धित उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद में कार्यरत अवर अभियन्ता (उप कृषि निदेशक कार्यालय/भूमि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संरक्षण अधिकारी कार्यालय, कृषि विभाग के अन्य कार्यालय) के मध्य उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्यों का विभाजन करते हुए तथा सम्बन्धित न्याय पंचायत के ग्रुप-सी की टीम बनाकर बोरिंग, जल स्तर आदि का सत्यापन कराया जायेगा। कृषकों का चयन एवं सत्यापन के समय यह देखा जायेगा कि 2 एच0पी0 के सोलर पम्प हेतु पंजीकृत किसान के पास 4 इंच, 3एच0पी0 एवं 5 एच0पी0 के लिए 6 इंच, 7.5 एवं 10 एच0पी0 सोलर पम्प के लिए 8 इंच की क्रियाशील बोरिंग तथा उपयुक्त जल स्तर होने पर ही कृषकों का चयन किया जायेगा। चयनित कृषक की बोरिंग का व्यास तथा जल स्तर आदि का सत्यापन करते हुए दिनांक सहित सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

(viii) सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने पर सम्बन्धित सोलर पम्प आपूर्तिकर्ता संस्था को कृषक का विवरण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा।

(ix) सम्बन्धित संस्था द्वारा चयनित कृषक के प्रक्षेत्र पर 01 माह के अन्दर सोलर पम्प की आपूर्ति करते हुए स्थापना करायी जायेगी तथा आपूर्ति/ स्थापना का दिनांक पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(x) यदि सोलर पम्प आपूर्तिकर्ता संस्था निर्धारित अवधि के अन्दर सोलर पम्पों की आपूर्ति/ स्थापना नहीं करती है, तो क्षमतावार लक्ष्य किसी अन्य संस्था को स्थानान्तरित कर दिये जायेगे, जिसके मैसेज स्वतः नयी संस्था को पहुँच जायेगे।

10-<u>पोर्टल पर सोलर पम्प हेतु निर्धारित प्रक्रियाः-</u>

विभागीय पोर्टल पर पी0एम0-कुसुम योजना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगीः-

(i) मुख्यालय द्वारा जनपदवार, क्षमतावार एवं संस्थावार सोलर पम्पों के लक्ष्यों का आवंटन।

(ii) कृषको का आनलाइन पंजीकरण(पूर्व से पंजीकृत कृषकों को पंजीकरण की आवश्यकता नही)

(iii) कृषक द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षमता के सोलर पम्प का चयन।

(iv) कृषकों के सत्यापन हेतु नामित कर्मचारियों के नाम का अंकन।

(v) सोलर पम्प हेतु चयनित कृषक की उप कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सत्यापन रिपोर्ट अपलोड किया जाना।

(vi) पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि जनपदीय उप कृषि निदेशक एवं मुख्यालय स्तर पर कृषकवार एवं सोलर पम्पों की क्षमतावार सूची पोर्टल पर आनलाइन उपलब्ध हो एवं डाउनलोड भी किया जा सके।

(vii) चयनित लाभार्थी सूची हेतु फर्म को यूजर आई0डी0 पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सिर्फ सोलर पम्प से सम्बन्धित चयनित कृषक के सम्बन्ध में ही विवरण देखा जा सके। आपूर्तित एवं स्थापित सोलर पम्प का विवरण फोटोग्राफ(कृषक एवं सोलर पम्प) एवं अन्य विवरण पोर्टल पर अपलोड कराने की व्यवस्था की जायेगी।

11-<u>स्थापना एवं भुगतान प्रक्रिया:-</u>

(i) आपूर्तिकर्ता फर्म एवं कृषि विभाग(मुख्यालय) के मध्य द्विपक्षीय एम0ओ0यू0 किया जायेगा, जिसमें सोलर पम्प की स्थापना, उसकी क्रियाशीलता एवं अनुरक्षण आदि का समावेश किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त स्थापित सोलर पम्प के साथ कृषक का फोटो एवं अन्य विवरण सम्बन्धित फर्म द्वारा अपलोड किया जायेगा।

(iii) सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित किये जाने वाले सोलर पम्पों का प्री-डिस्पैच निरीक्षण नियमानुसार किया जायेगा।

(iv) चयनित फर्म द्वारा मैसेज प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय पोर्टल से सूची प्राप्त कर लाभार्थी कृषक के प्रक्षेत्र पर सोलर पम्प की आपूर्ति करते हुए 01 माह के अन्दर सोलर पम्प की स्थापना सुनिश्चित करायी जायेगी तथा सोलर पम्प की स्थापना का दिनांक सहित कृषक के फोटोग्राफ आदि विभागीय पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी।

(v) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सोलर पम्प आपूर्ति से पूर्व स्वयं उपयुक्त एवं क्रियाशील बोरिंग का सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जिससे बाद में कोई बाधा उत्पन्न न हो। लाभार्थी कृषक के प्रक्षेत्र पर उपयुक्त एवं क्रियाशील बोरिंग/जल स्तर न होने पर तत्काल उप कृषि निदेशक को लिखित रूप से सूचित करना आवश्यक होगा।

(vi) पोर्टल से सम्बन्धित कार्यों हेतु सेवा प्रदाता द्वारा इसके लिए अलग से एक भिज्ञ कर्मचारी नियत किया जायेगा। सेवा प्रदाता का यह दायित्व होगा कि योजना अधिकारी की संस्तुति प्राप्त होने पर पोर्टल पर नवीन कृषक के चयन/चयनित कृषक का नाम पोर्टल से डिलीट कराने आदि से सम्बन्धित कार्यवाही उसी दिन पूर्ण करायेगें।

(vii) सोलर पम्प की स्थापना कराकर 01 सप्ताह के अन्दर आपूर्तिकर्ता फर्म बिल एवं सोलर पम्प के हैण्डिग ओवर सर्टीफिकेट तथा स्थापित सोलर पम्प की फोटोग्राफ सम्बन्धित जिले के उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेगें।

(viii) सोलर पम्प की स्थापना की सूचना प्राप्त होने पर स्थापित सोलर पम्पों का सत्यापन उप कृषि निदेशक अपने जनपद में कार्यरत श्रेणी-2 के अधिकारी एवं जनपद में श्रेणी-2 के अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में ही जनपद में स्थिति कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत वर्ग-1 के कर्मचारी को यथा आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के स्थान पर नामित करते हुए सत्यापन कार्य 15 दिवस के अन्दर पूर्ण करायेगें। **निर्धारित समय-सीमा मे सत्यापन न कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।** फर्म द्वारा दिये गये हैण्डिग ओवर सर्टीफिकेट पर सम्बन्धित फर्म, सम्बन्धित कृषक, श्रेणी-2 के अधिकारी एवं श्रेणी-2 के अधिकारी न होने की दशा में वर्ग-1 अथवा वर्ग-2 के कर्मचारी तथा जनपदीय उप कृषि निदेशक के हस्ताक्षर होने के उपरान्त सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा सत्यापन का दिनांक पोर्टल पर अपलोड करेगें।

(ix) सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित सोलर पम्प के कुल मूल्य का बिल केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश का विवरण बिल में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा बिल की एक प्रति पृथक से सम्बन्धित कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सत्यापन के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापित बिल (भुगतान की संस्तुति सहित) समस्त संबंधित के हस्ताक्षर सहित हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट, स्थापित पम्प की कृषक के साथ फोटोग्राफ, जे०सी०आर० तथा कृषक का फोटो युक्त आई0डी0 पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करनी होगी तथा इसकी दो प्रतियां नोडल अधिकारी (पी0एम0-कुसुम) कृषि भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक अंश, राज्यांश एवं केन्द्रांश का भुगतान भारत सरकार द्वारा एजेन्सी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

साथ किये गये अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु केन्द्रांश/राज्यांश की व्यवस्था करायी जायेगी।

(x) स्थापित सोलर पम्पों के राज्यांश की धनराशि का भुगतान मुख्यालय स्तर पर कोषागार के माध्यम से तथा एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा इण्डियन बैंक, कृषि निदेशालय शाखा, लखनऊ में उपलब्ध धनराशि से केन्द्रीय अनुदान की धनराशि का भुगतान कृषि निदेशक, उ0प्र0 से भुगतान की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपर नोडल अधिकारी, पी0एम0के0एस0वाई एवं वरिष्ठ सम्प्रेक्षाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। कृषक अंश की धनराशि का भुगतान कृषि निदेशक, उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थाओं को नोडल अधिकारी(पी0एम0-कुसुम) एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जायेगा। भुगतान की प्रविष्टि सम्बन्धित खाते के पासबुक में करायी जायेगी।

(xi) कृषि विभाग द्वारा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार को केन्द्रांश का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप प्रेषित किया जायेगा।

(xii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्य, जिनकी स्थापना वर्ष 2020-21 में करायी गयी है। एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार के पत्रांक-एफ0नं0/32/645/2018-एस0पी0वी0 डिवीजन(पार्ट-3) दिनांक 13.09.2021 द्वारा सोलर पम्पों की स्थापना हेतु समय-सीमा को बढाकर दिनांक 30.11.2021 तक कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2019-20(क्रियान्वयन वर्ष 2020-21) के लक्ष्यो के सापेक्ष दिनांक 30.11.2021 तक स्थापित किये गये अवशेष सोलर पम्पों का भुगतान वर्ष 2022-23 के बजट से किया जायेगा।

12-<u>निगरानी एवं रखरखावः-</u>

आपूर्तिकर्ता फर्म को सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त पाँच वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थापित सोलर पम्प की बीमा धनराशि भी सम्मिलित है। अनुबंध में सम्बन्धित फर्म को तीन माह में एक बार स्थापित सोलर पम्प का निरीक्षण भी किया जायेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित रूप पत्र पर जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से स्थापित सोलर पम्पों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक जनपद में अधिकृत सेवा केन्द्र की स्थापना के साथ हिन्दी/अग्रेंजी में हेल्पलाइन नम्बर भी निर्गत किया जायेगा। हेल्पलाइन नम्बर, पम्प अथवा कन्ट्रोलर के उपयुक्त स्थान पर अंकित किया जायेगा जो सोलर पम्प के उपयोगकर्ता को आसानी से दिखाई दे।

13-<u>योजनान्तर्गत स्थापित सोलर पम्पों के निगरानी हेतु SCADA लाइसेन्स एवं RMS कांफिगरेशन सेवा तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापनाः-</u>

भारत सरकार द्वारा पी0एम0-कुसुम कम्पोनेन्ट-बी की निर्गत गाइड लाइन में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश में स्थापित किये जा रहे सोलर पम्पों की निगरानी तथा अनुरक्षण हेतु SCADA लाइसेन्स एवं RMS कांफिगरेशन सेवा तथा आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना राज्य स्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पर किया जायेगा। SCADA लाइसेन्स एवं RMS कांफिगरेशन के एप्लीकेशन साफ्टवेयर में स्थापित करने हेतु सर्वर एवं आपरेटिंग सिस्टम को एन0आई0सी0 से हायर किया जायेगा। इस हेतु डोमेन का पंजीकरण भी एन0आई0सी0 से कराया जायेगा। डोमेने के पंजीकरण के उपरान्त पी0एम0-कुसुम योजना की एक पृथक बेवसाइट NICSI में Cloud पर स्थापित हो जायेगी तथा विभागीय पोर्टल की प्रगति भी उसी बेवसाइट पर प्रदर्शित होगी।

14-<u>योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण:-</u>

योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होगें तथा इसका अनुश्रवण मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा।

15-<u>अन्य निर्देशः-</u>

(i) सोलर पम्प का वर्ष में लगभग 150 दिन ही सिंचाई कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। वर्ष के शेष अवधि में सोलर ऊर्जा का उपयोग "यूनीवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर" का प्रयोग कर अन्य कार्य जैसे- चारा कटिंग मशीन, आटा चक्की, शीतगृह, बैट्री चार्ज करना आदि कार्यों में भी किया जा सकता है। यूनीवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर एवं सोलर पम्पिंग सिस्टम के अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का विकल्प कृषक को देना होगा तथा समस्त अतिरिक्त मूल्य का भुगतान कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ii) योजना के सफल क्रियान्वयन एवं कृषकों में योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से योजना का प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।

(iii) सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त "क्या करें अथवा क्या न करें" विषयक पत्र उप कृषि निदेशक एवं फर्म से हस्ताक्षरित कराकर कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) योजना अधिकारी द्वारा भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी से प्राप्त केन्द्रांश तथा टोकन के माध्यम से प्राप्त कृषक अंश की धनराशि का भुगतान बैंक के माध्यम से तथा राज्य से राज्यांश बजट के माध्यम से प्राप्त कर मुख्यालय स्तर से ही समस्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) योजना अधिकारी प्रत्येक माह योजना की प्रगति की समीक्षा करेगें तथा कृषि निदेशक एवं शासन को प्रगति से अवगत करायेगें।

(vi) उप कृषि निदेशक/मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा सोलर पम्पों की स्थापना से लाभों/प्रगति विषयक (सामाजिक/आर्थिक) **"सफलता की कहानियों"**को संग्रहीत की जायेगी तथा समय-समयपर मुख्यालय को फोटाग्राफ सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) सम्बन्धित संयुक्त कृषि निदेशक एवं उप कृषि निदेशक द्वारा योजनान्तर्गत भौतिक प्रगति समय से निदेशालय स्तर पर योजना अधिकारी को निम्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख को उपलब्ध करायेगें।

प्रारूप

क्र0 सं0	**जनपद का नाम**	**पम्प का प्रकार**	**लक्ष्य**	**आपूर्ति**	**स्थापित**	**अभ्युक्ति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16-<u>योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:-</u>

सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त इसके अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु रेन्डम आधार पर 5 प्रतिशत सत्यापन जनपदीय उप कृषि निदेशक, 2 प्रतिशत मण्डलीय अभियन्ता एवं मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा मुख्यालय से नामित टास्क फोर्स अधिकारियों द्वारा कम से कम 01 सोलर पम्प का सत्यापन किया जायेगा। रेन्डम आधार पर सत्यापन करते समय यह ध्यान रखा जाये कि सत्यापन हेतु चयनित सोलर पम्प पूर्व में किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार सत्यापित न किया गया हो। आशय यह है कि रेन्डम आधार पर सत्यापन हेतु नवीन सोलर पम्प का चयन हो, जिससे अधिक से अधिक संख्या में रेन्डम सत्यापन हो सके। योजना का मूल्यांकन 03 वर्षों के पश्चात थर्ड पार्टी से स्वतंत्र रूप से कराया जायेगा।

17- पी0एम0 कुसुम योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष किया जाना है। फिलहाल केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 60 प्रतिशत अनुदान (30 प्रतिशत केन्द्र पोषित/30 प्रतिशत राज्य पोषित) के आधार पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा टाप अप अनुदान पर अनुमोदन मिलता है, तो उस आधार पर किसानों को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

18- योजना के दिशा निर्देशों में यह आवश्यक है कि पम्प की स्थापना के अनुसार सत्यापन अधिकारियों द्वारा समय से किया जाए। इस हेतु विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त टेक्नोलाजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय तथा जो भी अभिलेख/सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होनी है, वह आनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। इस प्रकार सत्यापन के पश्चात् भुगतान की व्यवस्था भी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के आधार पर किया जायेगा।

19- योजना के निर्बाध रूप से संचालन के लिए केन्द्रांश की प्राप्ति करते हुए उसके सापेक्ष राज्यांश का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय(एम0एन0आर0ई0), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
14- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।